भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11/06/ 2021

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (वर्ष2021 का 1)

एफ. संख्याआरजी- 1/2/ (3)/2021- बीएंडसीएस (2) ---- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 1997 का 24) की धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (बी) की उप खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 तथा केन्द्रीय सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

(क) उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) की खंड (डी) और धारा 2 की उप धारा (1) की खंड (के) के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, जारी किया गया, और

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44(ई) तथा 45(ई) के तहत प्रकाशित,-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (वर्ष 2017 का 1) में और संशोधन करने के लिए निम्नवत विनियम तैयार करता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

(i) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (वर्ष 2021 का 1) कहा जाएगा।
(ii) यह विनियम, संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
(iii) यह विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 4 के पश्चात्, निम्नवत विनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

''4क. टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एड्रेसेबल प्रणालियों के अनुपालन संबंधी अपेक्षाएं – (1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, इस प्रकार के परीक्षण तथा प्रमाणन के पश्चात् ऐसी तिथि से, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा, 'कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम' तथा 'सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम' को तैनात करेंगे जो अनुसूची IX में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर खरा उतरता हो:

बशर्ते कि इस उप-विनियम में संदर्भित आदेश को जारी किए जाने की तिथि से पहले से ही तैनात किए गए 'कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम' तथा 'सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए प्राधिकरण एक विशिष्ट समय सीमा विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसी प्रणालियों का परीक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा ताकि अनुसूची IX में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके।

(2) यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क में विनिर्दिष्ट समय- सीमा के भीतर अपने नेटवर्क पर तैनात किए हुए 'कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम' और/ अथवा 'सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम' का प्रमाणन प्राप्त करने में असफल रहता है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उप विनियम(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो वह इसके लाइसेंस अथवा अनुमति अथवा पंजीकरण अथवा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा तैयार किए गए आदेशों, अथवा जारी किए गए निदेशों की शर्तों और निबंधनों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात् तीस दिनों तक की चूक के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की राशि तथा निर्धारित तिथि के तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने पर दो हजार रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने, जैसा कि प्राधिकरण आदेश के माध्यम से निदेश दे:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा उद्ग्रहित किए गए वित्तीय निरुत्साहन, किसी भी स्थिति के मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे:

बशर्ते आगे कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के माध्यम से किसी राशि के भुगतान के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा जबतक कि डिस्ट्रीब्यूटर को प्राधिकरण द्वारा पाए गए विनियमों के उल्लंघन के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए एक औचित्यपूर्ण अवसर नहीं दिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि यदि चूक साठ दिनों से अधिक चलती हो तो प्राधिकरण, प्रसारकों को डिस्ट्रीब्यूटर को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देने के पश्चात् उसके टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद करने का निदेश दे सकता है।''

3. मूल विनियमों की अनुसूची VIII के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-

'अनुसूची **IX**'

(विनियम 4क देखिए)

'कंडीशनल एक्सेस सिस्टम' (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम' (एसएमएस)

क. सीएएस संबंधी अनिवार्य अपेक्षाएं

1. **'टाइम स्टैंपिंग':** सभी लॉग पर तिथि और समय का स्टांप लगाया जाएगा। यह सिस्टम किसी भी लॉग में संशोधन या सुधार करने नहीं देगा। वितरक या प्रयोक्ता के लिए लॉग में परिशोधन करने की सुविधा नहीं होगी।
2. **सक्रियकरण और निष्क्रियकरण** : एसएमएस से गुजरे बिना सीएएस से सीधे सक्रियकरण/ निष्क्रियकरण, बुके के निर्माण, शोधन, विलोपन आदि, परंतु यहीं तक सीमित नहीं रखने सहित कोई भी कमांड करने के लिए टेलीविजन चैनलों के वितरक को कोई एक्सेस/ लॉग-इन आइडेंटिफिकेशन (आईडी) / यूजर इंटरफेस/ एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा।

   बशर्ते कि यदि समस्या निवारण के लिए सीएएस से सीधे कोई क्रियाकलाप किया गया हो तो इस प्रकार के अपवाद को 'सिंक्रोनाइजेशन' और 'मिस-मैच' रिपोर्ट के माध्यम से पहचान की जाएगी। इसके अलावा, एसएमएस आधारित सामान्य चैनल/ रूट के बाहर किसी भी क्रियाकलाप के लिए एक संरक्षित लॉग रखा जाएगा और

इसकी संवीक्षा के लिए अनुरोध किए जाने पर लेखा परीक्षा या जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. **एसएमएस और सीएएस का समेकन:** सीएएस से संबंधित एसएमएस पर किए गए प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड लॉग/ सीएएस के रिपोर्ट में तिथि और समय के स्टांप के साथ रखा जाएगा।
4. **सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) प्रचालन :**एसएमएस से किसी सब्सक्राइबर के निष्क्रिय होने पर सभी फ्री-टू-एयर (एफटीए) और पे चैनलों सहित सभी प्रोग्राम सेवाएं तथा प्लेटफार्म सेवाएं उस सब्सक्राइबर को नहीं दी जाएगी।

   बशर्ते कि डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉरम ऑपरेटर (डीपीओ) के लिए बी-मेल/ स्क्रॉल संदेश जारी रखने की सुविधा होगी जिस से उपभोक्ता रिचार्ज/ लंबित बकाया राशि के भुगतान से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकें।
5. **चैनल जोड़ना:** समय समय पर आवश्यकतानुसार सीएएस चैनल/ बुके जोड़ने/ संशोधित करने में सक्षम होंगे।
6. **लॉजिकल चैनल नंबर (एलसीएन):** सीएएस एक से अधिक एलसीएन और अन्य चैनल डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत प्रत्येक हेड एंड द्वारा दिए जा रहे डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में समान नाम या नामावली वाले चैनलों का वहन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, सीएएस में उपलब्ध प्रत्येक चैनल एसएमएस में उपलब्ध चैनलों के साथ विशिष्ट रूप से मापन करेगा।
7. **हाइब्रिड एसटीबी:** यदि टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर ने हाइब्रिड एसटीबी को तैनात किया है तो सीएएस यह सुनिश्चित करेगा कि ऑवर दा टॉप (ओटीटी) ऐप 'लीनियर' टेलीविजन चैनलों तक पहुंच न बनाएं और ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जा रहे चैनलों में सीएएस की पहुंच न हो।

   बशर्ते कि सीएएस के लिए सभी अनिवार्य अपेक्षाएं हाइब्रिड एसटीबी द्वारा पूरी की जाए।

8. **सीएएस रिपोर्टें:**

   (क) सीएएस डाटाबेस में कार्ड/ एसटीबी की श्वेत सूची सहित सक्रिय/ निष्क्रियता की स्थिति जैसे ब्योरों के साथ रिपोर्ट होगी जिस में तिथि और समय का स्टांप लगा हो।

(ख) सीएएस प्रणाली चैनल/ बुके सब्सक्रिप्शन और सक्रिय/ निष्क्रिय सब्सक्राइबरों, इसके किसी संयोजन, और केवल इसी के लिए नहीं बल्कि निम्नलिखित ब्योरों संबंधी रिपोर्ट बनाने में, तथा इन्हें एसएमएस के साथ निर्धारित क्रियाकलाप के रूप में और अनुरोध किए जाने पर साझा करने में सक्षम होगा -

(i) एसटीबी संख्या

(ii) विविंग कार्ड (वीसी) संख्या (या कार्ड रहित सीएएस की स्थिति में एसटीबी का चिपआईडी या वर्चुअल कार्ड संख्या)

(iii) प्लेटफार्म पर उपलब्ध चैनलों/ बुके से संबंधित उत्पाद कोड

(iv) पात्रता आरंभ होने की तिथि

(v) पात्रता समाप्त होने की तिथि

(vi) कार्ड की स्थिति (सक्रिय/ निष्क्रिय)

(ग) सीएएस के लॉग से निम्नलिखित रिपोर्ट बनाना संभव होगा।

(i) एसटीबी-वीसी युग्म/ अयुग्म

(ii)एसटीबी सक्रियकरण /निष्क्रियकरण

(iii) एसटीबी को चैनल देना

(iv) दी गई अवधि में एक विशेष चैनल का सक्रिय/ निष्क्रिय संबंधी रिपोर्ट

9. सीएएस डाटाबेस और तालिका :

क) डाटाबेस तालिका के बाहर कोई सक्रिय विशिष्ट सब्सक्राइबर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, डीपीओ या विक्रेता द्वारा सीएएस डाटाबेस को विखंडित करने या एक से अधिक दृष्टांत तैयार करने का विकल्प नहीं होगा।

ख) सीएएस डाटाबेस में यूनीक़ एक्सेस (यूए)/विविंग कार्ड (वीसी) के विवरण को अपलोड किए जाने के संदर्भ में सीएएस को निम्नवत विकल्प समर्थित होना चाहिए

i. डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा यथा क्रय की गई कार्ड की एक सुरक्षित असंपादित की जाने वाली फाइल, को सीएएस वेंडर द्वारा सीधे ही सीएएस सर्वर पर अपलोड किया जाए, अथवा,

ii. यदि इसे किसी अन्य प्ररूप में अपलोड किया जाए, सीएएस डाटाबेस में यूए/ वीसी को लॉग में कैप्चर किया जाएगा।

iii. इसके अलावा, सीएएस, बिना किसी हस्तचालित हस्तक्षेप के एसएमएस में ऐसी यूए/ वीसी ब्योरे को तैयार करने के लिए एक स्वचालित एपीआई आधारित प्रणाली को समर्थित करेगा।

10. **सीएएस लॉग :** सीएएस लॉग जैसे कि यूजर कमांड, कान्फिग्यूरेशन, चैनल/ बुके सृजन, आशोधन आदि को सुरक्षित तथा असंपादनयोग्य तरीके से रखा जाएगा।

11. **सीएएस बैकअप सर्वर :** बैकअप सर्वर के प्रयोग करने की स्थिति में, मुख्य सर्वर में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के लॉग को लगातार बैकअप सर्वर में कॉपी किया जाएगा।

बशर्ते कि, इस प्रकार के सभी दृष्टांतों के लॉग का दिनांक और समय के स्टांप के साथ रखरखाव किया जाएगा, जहां बैकअप सर्वर को मुख्य सर्वर के रूप में उपयोग किया गया है:

बशर्ते आगे कि मुख्य तथा बैकअप सर्वर हमेशा ही 'की-डाटा' जैसे कि सब्सक्रिप्शन डाटा, एसटीबी यूए/ वीसी ब्योरे, एनटाईटलमेंट लेवल इन्फर्मेशन आदि के संबंध में 'सिंक' में रहेंगे ।

12. **सीएएस- एसटीबी एड्रेसेबिलिटी**

(क) सीएएस, वर्तमान तिथि, समय और टेलीविजन चैनलों के वितरक के नाम/लोगो के साथ एसटीबी/ व्यूइंग कार्ड की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा।

(ख) सीएएस, रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजनार्थ, चैनल दर चैनल और एसटीबी दर एसटीबी आधार पर, सब्सक्राबरों को पृथकरूप से 'एड्रेस' करने में सक्षम होगा।

(ग) सीएएस, चोरी में शामिल होने वाले वीसी नंबरों और एसटीबी नंबरों को टैग और ब्लैकलिस्ट करने में सक्षम होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे एसटीबी / वीसी को फिर से तैनात नहीं किया जा सके।

(घ) सीएएस, एसटीबी को 'ओवर द एयर' (ओटीए) में उन्न्यन करने में सक्षम होगा, ताकि जुड़े हुए एसटीबी का उन्नयन किया जा सके।

13. **डाटाबेस तक पहुंच**: सीएएस और एसएमएस यह सुनिश्चित करेंगे कि डाटाबेस तक पहुंच केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, और यह केवल "रीड ऑनली" मोड में उपलब्ध है। इसके अलावा, 'डाटाबेस ऑडिट ट्रेल' को स्थायी रूप से सक्षम किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: यहां डाटाबेस ऐसे डाटाबेस को संदर्भित करता है जहां एसटीबी सक्रियण, निष्क्रियता, सब्सक्रिप्शन डाटा, एसटीबी यूए / वीसी विवरण, पात्रता स्तर की जानकारी आदि से संबंधित सभी क्रियाकलापों का डाटा और लॉग संग्रहीत किया जा रहा है।

14. **अलाकार्ट चैनल अथवा बुके को उपलब्ध कराया जाना :**

(क) सीएएस (और एसएमएस) एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए सभी चैनलों को अलाकार्टे पद्धति में संभालने में सक्षम होगा।

(ख) सीएएस (और एसएमएस) में इतनी संख्या में ब्रॉडकास्टर/ डीपीओ बुके को संभालने की क्षमता होगी, जैसा कि डीपीओ द्वारा अपेक्षित है।

15. **सीएएस और एसएमएस सर्वर पृथक्करण:** सीएएस और एसएमएस एप्लिकेशन, उनके संबंधित डाटाबेस के साथ, इस तरह से संग्रहित किए जाएंगे कि उन्हें अलग से पहचाना जा सके।

16. **'फिंगर प्रिंटिग' उपाय:**

(क) सीएएस, फिंगर प्रिंटिंग गुप्त और दृश्यमान दोनों प्रकार की कार्यात्मकता का समर्थन करेगा।

(ख) फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी परत पर होगी।

(ग) फ़िंगर प्रिंटिंग सभी परिदृश्यों में स्क्रीन पर दिखाई देगी जैसे मेन्यू, इलैक्ट्रॉनिक प्रौग्राम गाइड (ईपीजी), सेटिंग्स, ब्लैंकस्क्रीन, गेम आदि।

(घ) किसी भी उपकरण या सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिंगर प्रिंटिंग अमान्य नहीं होगी।

(ङ) सीएएस में नियमित अंतराल पर फिंगरप्रिंटिंग चलाने (उदाहरण के लिए 24x7x365 आधार पर प्रति घंटे न्यूनतम 2 फिंगर प्रिंटिंग) और अनुरोध पर प्रसारकों को फिंगरप्रिंट शेड्यूल प्रदान करने की क्षमता होगी।

(च) फिंगर प्रिंटिंग वैश्विक और साथ ही व्यक्तिगत एसटीबी आधार पर उपलब्ध होगी।

17. **सीएएस** डेटाबेस **(डीबी) एक्सपोर्ट**: सीएएस के पास एसएमएस डाटाबेस के साथ मिलान के लिए डेटाबेस/ रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा, 'सिक्योर

एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेज (एपीआई')/ 'सिक्योर स्क्रिप्ट' के माध्यम से मिलान का प्रावधान होगा।

18. **फ़ायरवॉल एक्सेस:** सीएएस को केवल फ़ायरवॉल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा

19. **सीएएस सर्वर हार्डवेयर:** सीएएस को हार्डेड सिक्योर सर्वर हार्डवेयर पर तैनात किया जाएगा। सीएएस किसी भी 'बैकडोर', 'मेलेशियस सॉफ़्टवेयर डिप्लायमेंट' और साइबर सुरक्षा खतरों से रक्षा करेगा।

20. **एसटीबी का 'डीएन्टाइटलमेंट':** सीएएस में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

(क) सीएएस में पात्रता समाप्ति तिथि, एसएमएस में पात्रता समाप्ति की अंतिम तिथि के बराबर होगी, अथवा ,

(ख) सीएएस में पात्रता समाप्ति तिथि मुक्त होगी और एसएमएस बिलिंग चक्रों और भुगतानों के आधार पर पात्रता का प्रबंधन करेगा।

ख. <u>एसएमएस संबंधी अनिवार्य अपेक्षाएं</u>

1. **सीएएस तथा एसएमएस, दोनों के डाटा का सिंक्रोनाईजेशन:**

(क) सीएएस तथा एसएमएसके डाटा को एक दूसरे के साथ 'सिंक्रोनाईज' किया जाएगा। आवधिक आधार पर, सीएएस तथा एसएमएस के बीच 'डाटा मिस मैच' का पता लगाने की सुविधा होगी, जिसे लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) एसएमएस में दिनांक तथा समय के साथसिंक्रोनाइजेशन रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान होगा, जिसमें निम्नानुसार न्यूनतम फील्ड होंगे:

(i) एसटीबी नम्बर

(ii) विविंग कार्ड (वीसी) नम्बर (अथवा बिना कार्ड सीएएस के मामले में, चिप का आईडी अथवा एसटीबी का वर्चुअल कार्ड नम्बर)

(iii) प्लेटफार्म पर उपलब्ध अलाकार्ट चैनलों और बुके के संबंध में उत्पादकोड।

(iv) पात्रता आरंभ होने की तिथि

(v) पात्रता समाप्त होने की तिथि

(vi) कार्ड की स्थिति (सक्रिय/ असक्रिय)

(ग) सीएएस के 'फाइल आउटपुट' को एसएमएस सिस्टम द्वारा संसाधित किया जाएगा ताकि शतप्रतिशत 'मैच' अथवा 'मिस-मैच' त्रुटि रिपोर्ट का सृजन तथा तुलना की जा सके।

2. **चैनल/ बुके प्रबंधन :**एसएमएस निम्नवत अनिवार्य अपेक्षाओं का समर्थन करेगा:

(क) नाम, प्रशुल्क, प्रसारक अथवा डीपीओ बुके आदि जैसे संगत विवरणों के साथ सभी चैनलों और बुके तैयार और प्रबंधन करें ।

(ख) समय- समय पर यथा अपेक्षित चैनल/ बुके में परिवर्तनों का प्रबंधन करना।

(ग) एसएमएस तथा सीएएस समेकन के निर्बाध कार्यकरण के लिए सीएएस में सृजित अलाकार्ट चैनलों और बुके (एकल तथा थोक) के लिए उत्पाद आईडी को एसएमएस में प्रबंधित उत्पाद जानकारी के साथ जोड़े।

(घ) उत्पाद के नाम अर्थात् प्रसारक (नाम), अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), डिस्ट्रीब्यूर खूदरा मूल्य (डीआरपी) आदि के पिछले डाटा का प्रबंधन।

3. नेटवर्क क्षमता शुल्क **(एनसीएफ) नीति निर्माण**: एसएमएस, लागू प्रशुल्क आदेश द्वारा अधिदेशित सभी एनसीएफ से संबंधित अपेक्षाओं का समर्थन करेगा।

4. **बिल/ बीजक तैयार किया जाना:** एसएमएस, एनसीएफ शुल्क, पे चैनल प्रभार (अलाकार्ट चैनल लागत और बुके लागत के स्पष्ट पृथक मद के विवरण के साथ), एसटीबी के लिए किराया प्रभार (यदि कोई हो), माल सेवा कर (जीएसटी) सहित अन्य लागू प्रभारों के साथ उचित उपभोक्ता बिल/ बीजक तैयार करने में सक्षम होगा।

5. **उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड नीति तैयार करना:**एसएमएस में न्यूनतम लंबाई मानदंड और संरचना ('अपर एंड लोअर केस केरेक्टर',संख्यात्मक, 'एल्फाबेट' या 'स्पेशलकेरेक्टर'), बलात् पासवर्ड परिवर्तन करने या कोई अन्य उपयुक्त तंत्र अथवा उनके संयोजन के साथ एक स्पष्ट पासवर्ड संबंधी नीति होगी।

6. **लॉग का प्रबंधन :**

(क) एसएमएस में प्रत्येक लॉगिन किए जाने पर उपयोगकर्ताओं की आईडी (पहचान) के साथ उपयोगकर्ता के विवरण लॉग उपलब्ध कराने की सुविधा होगी।

(ख) एसएमएस में उपयोगकर्ता के पिछले कार्य को ट्रैक करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उपयोगकर्ता क्रियाकलाप लॉग रिपोर्ट को सृजन करने की व्यवस्था होगी। इसे लॉग से रिकॉर्ड का विलोपन करने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) सभी लॉग पर तिथि और समय अंकित होगा और सिस्टम किसी भी लॉग को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं देगा।

(घ) लॉग को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा कम से कम दो लेखा परीक्षा चरण, जो भी बाद में हो, के लिए रखरखाव किया जाएगा।

7. **चैनल सब्सक्रिप्शन संबंधी रिपोर्ट:** एसएमएस अलाकार्ट और बुके सब्सक्रिप्शन दोनों सहित चैनलों के मासिक सब्सक्राइबरों की कुल संख्या उपलब्ध कराने में सक्षम होगा।

8. **एसएमएस डाटाबेस और तालिका :**

(क) डाटाबेस तालिकाओं के अलावा कोई सक्रिय 'यूनीक सब्सक्राइबर' नहीं होगा।

(ख) एसएमएस,एसएमएस डाटाबेस को विभाजित करने या एक से अधिक दृष्टांत तैयार करने का विकल्प प्रदान नहीं करेगा।

(ग) एसएमएस में उपभोक्ताओं द्वारा वेबसाइट या एप्लिकेशन के माध्यम से वितरक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए इंटरफेस के जरिए चैनल (अलाकार्ट चैनल या चैनलों के बुके) चयन को सक्षम या अक्षम करने की व्यवस्था होगी।

(घ) एसएमएस, लेखा परीक्षा अथवा अन्यथा अपेक्षित निम्नलिखित जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम होगा:

(i) बुके अलाकार्ट स्थिति परिवर्तन का पिछला विवरण।

(ii) बुके संरचना का परिवर्तित पिछला विवरण।

(iii) कनेक्शन की स्थिति में परिवर्तन (प्राथमिक से माध्यमिक और इसके प्रतिलोमत:)

9. **फॉयरवाल तक पहुंच :**एसएमएस तक केवल फॉयरवाल के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकेगी ।

10. **एसटीबी-वीसी पेयरिंग:** चैनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसटीबी और वीसी को एसएमएस से पेयर किया जाएगा।

11. **एसएमएस-एसटीबी एड्रेसेबिलिटी**: एसएमएस, रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजनार्थ, चैनल दर चैनल और एसटीबी दर एसटीबी आधार पर, सब्सक्राबरों को पृथकरूप से 'एड्रेस' करने में सक्षम होगा।

ग. <u>सीएएस वांछनीय अपेक्षाएं</u>:

1. 'मैसेज क्यू':

(क) नेटवर्क में खराबी (उदाहरण के लिए बिजली चले जाने पर) के कारण संदेशों के असफल प्रेषण पर 'हेड-एंड' के पास इन संदेशों को पंक्तिबद्ध रखने का विकल्प होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एडिटिव बैक आफ रिट्राइल टाइमिंग का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट अंतराल पर उन संदेशों को पुन: प्रेषित करने का प्रावधान होना चाहिए।

(ख) संदेशों को भेजने में असफल रहने पर इनकी समयावधि विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

2. '**भौगोलिक ब्लैकआउट**': सीएएस में भौगोलिक ब्लैकआउट की विशेषता होगी।

***स्पष्टीकरण** 1:* भौगोलिक ब्लैकऑउट सीएएस की डाक सचूकांक संख्या (पिन) कोड (भौगोलिक क्षेत्र कोड) आधारित किसी विशेष क्षेत्र को ब्लैकआउट करने के लिए क्षमता है, यदि यह सरकारी एजेंसियों द्वारा अथवा अन्य कारणों से अपेक्षित हो।

3. **बिक्री- पश्चात् सेवा सहायता**: भारत में अवस्थित सीएएस 'वेंडर' की सहायता दल से टेलीविजन चैनलों के स्थापन के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास अपेक्षित साफ्टवेयर और हार्डवेयर सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। यह सहायता इस प्रकार होना चाहिए जिससे 99.99 प्रतिशत अपटाइम और उपलब्धता के साथ सीएएस प्रणाली सुनिश्चित हो। इन प्रणालियों में सेवा की गुणवत्ता और 'अपटाइम' सुनिश्चित करने के लिए बैकअप प्रणाली के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

***स्पष्टीकरण** 1:*

(i) यदि हार्डवेयर सीएएस वेंडर द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है तो हार्डवेयर सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए।

(ii) प्रणाली सहायता के लिए वास्तविक सेवा-स्तरीय व्यवस्था सेवा प्रदाता अर्थात् सीएएस 'वेंडर' और उपभोक्ता (डीपीओ) के बीच परस्पर समझौता/ सेवा-स्तरीय समझौता (एसएलए) द्वारा अभिशासित होगी।

(iii) उक्त समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता परस्पर उदार/ कठोर सेवा स्तरीय गारंटी को चुन सकते हैं।

घ. <u>एसएमएस वांछनीय अपेक्षाएं</u>

1. आंकड़ों का सत्यापन:

(क) एसएमएस में सीएएस विन्यास के साथ एसएमएस में सृजित चैनलों/ अलाकार्ट और सभी बुके की अपनी आईडी के साथ उनका स्वत: समन्वय करने की सुविधा होनी चाहिए, और अंतर संबंधी रिपोर्ट लॉग के साथ इस प्रणाली में उपलब्ध होनी चाहिए।

2. एसएमएस रिपोर्ट: एसएमएस में सेट टॉप बॉक्स/ वीसी से संबंधित निम्नलिखित रिपोर्टों के सृजन का प्रावधान होना चाहिए:

(क) सक्रिय/ निष्क्रिय स्थिति के साथ सेट टॉप बॉक्स/ वीसी की श्वेत सूची।
(ख) खराब सेट टॉप बॉक्स/ वीसी- मरम्मत किए जाने योग्य और मरम्मत न किए जाने योग्य।
(ग) भंडागार नया स्टॉक।
(घ) लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के स्टॉक में ।
(ड.) काली सूची।
(च) सक्रियण स्थिति साथ प्रसारित।
(छ) स्थान के साथ सेट टॉप बॉक्स/ वीसी का परीक्षण/ प्रदर्शन।

3. लेखा परीक्षा संबंधी अपेक्षाएं: एसएमएस में निम्न उल्लिखित सूचना अभिग्रहण की क्षमता होनी चाहिए जिनकी लेखापरीक्षा और अन्यथा के लिए आवश्यक हो सकती है:

क. सब्सक्राइबर संबंधी:

(i) सब्सक्राइबर संपर्क ब्यौरा परिवर्तन इतिवृत्त
(ii) कनेक्शन गणना इतिवृत्त
(iii) असंबद्ध/ सक्रिय/ अस्थायी असंबद्ध के बीच संबद्धता का अवस्थांतर
(iv) सब्सक्रिप्शन परिवर्तन इतिवृत्त

ख. एलसीओ संबंधी:

(i) एलसीओ संपर्क ब्यौरा परिवर्तन इतिवृत्त

(ii)एलसीओ और डीपीओ साझा परिवर्तन इतिवृत्त

ग. उत्पाद (बुके/ अलाकार्ट चैनल) संबंधी:

(i) प्रसारक अलाकार्ट संबंध

(ii)बुके नाम परिवर्तन इतिवृत्त

(iii) अलाकार्ट नाम परिवर्तन इतिवृत्त

(iv) बुके/ अलाकार्ट चैनल दर परिवर्तन इतिवृत्त

घ. एसटीबी/ स्मार्ट कार्ड संबंधी:

(i) स्थान इतिवृत्त में परिवर्तन

(ii)स्थिति में परिवर्तन (सक्रिय/ क्षतिग्रस्त/ मरम्मत किया हुआ)

4. **उपयोगकर्ता का अभिप्रमाणन:** एसएमएस में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर (आरएमएन) के जरिये इसके सब्सक्राइबरों के अभिप्रमाणन की क्षमता होनी चाहिए।

5. **विविध:** एसएमएस में निम्नलिखित विविध अपेक्षाओं की सहायता करने का प्रावधान होना चाहिए:

(क) अलाकार्ट चैनलों और बुके, डिजिटल हेड-एंड (डीएचई) और क्षेत्र-वार सूची: सीएएस में उपलब्ध सूची के साथ समन्वित अलाकार्ट चैनलों और बुके की सहायक/ प्रबंध क्षेत्र/ उप शीर्ष-वार सूची का प्रावधान।

(ख) डीपीओ और एलसीओ के बीच राजस्व की साझेदारी: इतिवृत्त सूचना को बनाए रखने के विकल्प के साथ डीपीओ और एलसीओ के बीच हुए समझौते के अनुसार 'डिस्ट्रीब्यूशन फीस'और एनसीएफ के लिए इनकी राजस्व साझेदारी का परिभाषित और गणना करने का प्रावधान बड़ा उपयोगी हो सकता है और यह वांछनीय भी है।

(ग) जीएसटी के साथ एलसीओ बीजक: एलसीओ की बहु जीएसटी पंजीकरण संख्या के तहत बीजक सृजित करने और यथा प्रयुक्त जीएसटी बीजक मानकों का अनुपालन करने का प्रावधान।

(घ) सब्सक्राबर खाते के लिए उत्पाद (अलाकार्ट चैनल और बुके)-वार नवीकरण और

परिवर्तन सेटिंग: किसी उत्पाद की अंतिम तिथि के बाद किसी सब्सक्राइबर के लिए किसी उत्पाद के नवीकरण का प्रावधान, और किसी सब्सक्राइबर के लिए राशि की स्वत: गणना और वापसी का प्रावधान यदि वह सब्सक्राइबर बीच में ही किसी उत्पाद को छोड़ दे। ये अपेक्षाएं डीपीओ की कारोबारी योजनाओं के अनुसार उनके द्वारा यथा अपेक्षित चयनित उत्पादों के संबंध में अभिविन्यास योग्य हो सकती हैं।

(ङ) एलसीओ खाते के लिए उत्पाद (अलाकार्ट चैनल और बुके)-वार परिवर्तन सेटिंग: यदि वह अथवा सब्सक्राइबर किसी उत्पाद को बीच में ही छोड़ देता है तो एलसीओ के कारण राशि की गणना और वापसी का प्रावधान।

(च) उत्पाद (अलाकार्ट चैनल और बुके) अवधि -वार एलसीओ तथा सब्सक्राइबर/डिस्काउंट स्कीम/ नि:शुल्क दिवस स्कीम: उत्पाद सब्सक्रिप्शन अंशदान की अवधि के आधार पर एलसीओ और सब्सक्राइबर के लिए डिस्काउंट स्कीम और नि:शुल्क दिवस स्कीम सृजित करने हेतु प्रावधान।

(छ) कैलेंडर/क्रियाकलापों को अनुसूचीबद्ध किया जाना: क्रियाकलापों को स्वत: सूचीबद्ध करने की व्यवस्था जैसे सेट टॉप बॉक्स को सक्रिय/ निष्क्रिय करना, अलाकार्ट चैनल और बुके को जोड़ना/ हटाना, चैनल/ बुके संरचना में संशोधन आदि।

(ज) बल्क चैनल/ बुके प्रबंधन: सभी सेट टॉप बॉक्सों अथवा नामोद्दिष्ट सेट टॉप बॉक्सों के समूह में अलाकार्ट चैनलों और बुके को जोड़ने और हटाने की बल्क गतिविधि करने का प्रावधान।

(झ) टोकन-संख्या आधारित रिपोर्ट: विभिन्न अंतरालों के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्टों जैसी टोकन संख्या की संख्या की सहायता से बहु सृजित रिपोर्टों को डाउनलोड करने का प्रावधान।

(ञ) तृतीय पक्ष समाकलन: पेमेंट गेटवे समाकलन, इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स (आईवीआर) समाकलन, एसएमएस गेटवे समाकलन आदि जैसी संगत तृतीय पक्ष प्रणाली के साथ समाकलन की सहायता करने का प्रावधान।

(ट) बिल भुगतान और समन्वय विशेषता: यदि कोई डीपीओ पोस्ट पेडमोड में सेवा प्रदान कर रहा हो तो बिल के भुगतान और समन्वय का प्रावधान होना।

(ठ)<u>रिपोर्ट सृजन</u>: परिचालन उद्देश्य हेतु निम्नलिखित रिपोर्टोंके सृजन का प्रावधान:-

(i) सभी, चयनित और एकल बॉक्स की वर्तमान स्थिति और उनकी प्रथम सक्रियण तिथि।

(ii) अनुमति के अनुसार डैश बोर्ड में दी गयी भावी तिथि तक अलाकार्ट चैनलों और बुके की कुल संख्या तथा सेट टॉप बॉक्स की समाप्ति तिथि का ब्यौरा।

(iii) अनुमति के अनुसार डैश बोर्ड पर आज की नई सक्रियण गणना, निष्क्रियण गणना, पुनर्सक्रियण गणना, अलाकार्ट चैनल और बुके के जोड़ने/ हटाने की गणना।

(iv) बहु मानदंड (नेटवर्क-वार, अलाकार्ट चैनल और बुके-वार, राज्य-शहर वर और प्रसारक वार) के साथ कुल सक्रिय और निष्क्रिय सब्सक्राइबरों का ब्यौरा।

6. **ब्रिक्री पश्चात् सेवा सहायता:** भारत में अवस्थित एसएमएस 'वेंडर' सहायता दलों से टेलीविजन चैनलों के स्थापन के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। यह सहायता ऐसी होनी चाहिए जिससे कि 99.99 प्रतिशत 'अपटाइम' और उपलब्धता के साथ एसएमएस प्रणाली सुनिश्चित हो। इस प्रणाली में बैकअप प्रणाली के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए ताकि सेवा गुणवत्ता और 'अपटाइम' सुनिश्चित हो सके:

स्पष्टीकरण 1:

(i) हार्डवेयर सहायता की अपेक्षा तभी प्रयोज्य होनी चाहिए यदि उक्त हार्डवेयर एसएमएस 'वेंडर' द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया गया हो।

(ii) उक्त प्रणाली सहायता के लिए वास्तविक सेवा-स्तरीय व्यवस्था (एसएलए) सेवा प्रदाता यथा एसएमएस 'वेंडर' और उपभोक्ता (डीपीओ) के बीच परस्पर समझौता/ एसएलए द्वारा अभिशासित होगी।

(iii) उक्त समझौते के हस्ताक्षरकर्ता परस्पर उदार/ कठोर सेवा-स्तरीय गारंटी का विकल्प चुन सकते हैं।"

(राजीव सिन्हा)

सचिव प्रभारी, भादूविप्रा

नोट 1: मूल विनियमों को दिनांक 03 मार्च, 2017 (वर्ष 2017 का 1) की अधिसूचना संख्या 21-4/2016- बीएंडसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था।

नोट 2: मूल विनियमों में दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 (वर्ष 2019 का 7) की अधिसूचना संख्या 21-6/2016-बीएंडसीएस के माध्यम से संशोधन किया गया था।

नोट 3: मूल विनियमों में दिनांक 01 जनवरी, 2020 (वर्ष 2020 का 1) की अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बीएंडसीएस के माध्यम से आगे और संशोधन किया गया था।

नोट 4: व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (वर्ष 2021 का 1) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्राक्कथन और पृष्ठभूमि

1. डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशों के अनुरूप, भारत सरकार ने देश में डीएएस के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 11 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना जारी की। इससे केबल टेलीविजन के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के कार्यान्वयन हेतु खाका निर्धारित हुआ। केबल और टेलीविजन क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन चार चरणों में किया गया। देशभर में संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक 31 मार्च, 2017 को पूर्ण हो गई थी।
2. डीएएस ने एड्रेसेबिलिटी, पारदर्शिता, उच्च चैनल वाहक क्षमता को सक्षम बनाया है साथ ही उपभोक्ताओं को विकल्प की पेशकश करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता भी उपलब्ध कराई है। कन्डीशनल एक्से ससिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), डिजिटल एड्रेसेबल प्रसारण परितंत्र का मूलाधार हैं। वे प्राधिकृत सब्सक्राइबरों को सुरक्षित तथा एन्क्रिप्टिड स्वरूप में विषयवस्तु प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
3. दिनांक 03 मार्च, 2017 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबलसिस्टम) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् "अंतर्संयोजन विनियम, 2017 कहा जाएगा") को अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् 30 अक्तूबर, 2019 को संशोधित किया गया। वे उपभोक्ताओं को टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रसारक और वितरक के बीच तकनीकी ओर वाणिज्यिक व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। मौजूदा योजना के अनुसार, केबल और उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के संवितरण के लिए डीपीओ द्वारा तैनात की गई डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां (डीएएस), अंतर्संयोजन विनियम, 2017 की अनुसूची III पर खरा उतरना चाहिए। अनुसूची III में अन्य बातो के साथ- साथ अनुपालन के लिए सीएएस तथा एसएमएस की विशेषताएं भी समाविष्ट हैं।
4. हितधारकों को सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियां लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका[1] जारी की। यह नियमपुस्तिका, प्रक्रिया और लेखा परीक्षा की कार्यपद्धति को उपलब्ध कराती है तथा इसमें मौजूदा विनियमों के तहत यथा विहित लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियागत अनुपालन अपेक्षाएं शामिल हैं। लेखा परीक्षा में अन्य बातों के साथ साथ सीएएस तथा एसएमएस द्वारा स्व-प्रमाणन शामिल है ताकि अनुसूची III में कतिपय उपबंधों के अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

[1]लेखापरीक्षानियमपुस्तिकाहितधारकों तथा लेखापरीक्षकों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। नियमपुस्तिका, मौजूदा विनियमों के किसी उपबंध(धों) को अधिक्रमण नहीं करता है।

5. मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क एक विश्वास आधारित पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करता है, जिसके तहत वितरक स्वयं नियमित लेखा परीक्षा के लिए नेटवर्क की पेशकश करते हैं और उसके पूर्ण अनुपालन का जिम्मा लेते हैं । केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995,एन्क्रिप्टेड तरीके से विषयवस्तु के पारेषणके लिए विनिर्दिष्ट करता है। तथापि, प्राधिकरण को विभिन्न प्रसारकों और डीपीओ से सिग्नलों के अनधिकृत वितरण/ पायरेसी के बारे में नियमित रूप से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीएएस/ एसएमएस प्रदाताओं से सहायता, सब्सक्रिप्शन की कम करके जानकारी देने आदि से संबंधित मुद्दों पर भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।
6. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुसार, विषयवस्तु की चोरी तथा सिग्नलों के एनक्रिप्शन, प्राधिकृत अधिकारियों[2] के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। तथापि, प्राधिकृत अधिकारियों के लिए अवमानक सीएएस की तैनाती से उत्पन्न मुद्दों की पहचान करना काफी कठिन होता है। मौजूदा प्रावधानों में उपयुक्त सुरक्षा और अनुपालन तंत्र के लिए ऐसा कोई निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क/मानदंड नहीं है। अवमानक सीएएस और एसएमएस वितरण नेटवर्क को हैकिंग और सामग्री चोरी के प्रति असुरक्षित कर देते हैं ।
7. प्राधिकरण ने पाया कि कुछ मामलों में, वितरक अपने सीएएस और एसएमएस प्रणालियों की बाधाओं के कारण निर्धारित समय के भीतर नए विनियामक ढांचे का अनुपालन करने में असमर्थ रहे । कुछ वितरकों ने ऐसी प्रणालियों के विक्रेताओं के समर्थन से संबंधित मुद्दे उठाए हैं ।
8. इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए कन्डीशनलएक्सेस प्रणाली (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए फ्रेमवर्क पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य सभी हितधारकों से प्रासंगिक मुद्दों पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करना था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई हैं । दिनांक 25 जून, 2020 को खुली मंच चर्चा आयोजित हुई।
9. सीएएस और एसएमएस विशेष प्रणालियां हैं जो डीएएस के मुख्य कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं । प्राप्त टिप्पणियां, सामान्य तौर पर, सीएएस और एसएमएस के कारण हितधारकों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को दर्शाती हैं । हितधारकों ने

[2]केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम,1995 की धारा 2(क) के अनुसार, किसी प्राधिकृत अधिकारी को अपनी स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर (i) एक जिलाधिकारी, अथवा (ii) एक उपमंडलीयमजिस्ट्रेट, अथवा (iii) एक पुलिस आयुक्त के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी शामिल है जो सरकार द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्राधिकार की ऐसी स्थानीय सीमा के लिए एक प्राधिकृत अधिकारी होगा।''

सुझाव दिया है कि प्राधिकरण को सीएएस और एसएमएस द्वारा अनुपालन के लिए कुछ विनियामक प्रावधान लागू करने चाहिए। प्राधिकरण इस बात से भी अवगत है कि अपेक्षित विनियामक हस्तक्षेप 'लाइट टच' रहना चाहिए। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं (यदि कोई हों तो) न्यूनतम रहें। इस बात का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने एक समिति (जिसे इसके पश्चात्'समिति' कहा जाएगा) का गठन किया जिसमें उद्योग के हितधारक और विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), ऑल इंडिया डिजिटलकेबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) के नामिती और डारेक्ट-टू-हॉम डीटीएच ऑपरेटरों के नामिती शामिल थे । प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से, एसएमएस प्रदाताओं और भारतीय और वैश्विक सीएएस कंपनियों के प्रतिनिधि ने भी समिति के सदस्यों के रूप में योगदान दिया। प्राधिकरण ने समिति में टेलिकॉम इंजिनियरिंग सेंटर (टीईसी), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण निदेशालय (एसटीक्यूसी), प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक), ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर जैसे विशेषज्ञ निकायों/ प्रख्यात संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी नामित किया । परामर्श पत्र में टिप्पणियों के रूप में प्राप्त, सुझाई गई विशेषताओं पर कई दौर के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि टेलीविजन चैनल वितरण नेटवर्कों में तैनात प्रणालियां, मौजूदा मानकों का पालन करें और विषयवस्तु की सुरक्षा सुनिश्चित करें। समिति की रिपोर्ट अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के संशोधनों और अनुसूची IX का मुख्य आधार बनाती है।

मुद्दों का विश्लेषण

क. विषयवस्तु की सुरक्षा तथा वास्तविक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए सीएएस तथा एसएमएस की मुख्य विशेषताएं

10. जैसा कि परामर्श पत्र में स्पष्ट किया गया है, सीएएस और एसएमएस प्रमुख तत्व हैं जो विषयवस्तु की सुरक्षा और उपयुक्त लेखांकन को अभिशासित करते हैं। मौजूदा उपबंधों के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के संवितरण के लिए डीएएस को अंतर्संयोजन विनियमों, 2017 की अनुसूची III में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। अनुसूची III के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी एक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। अन्य बातों के साथ साथ, लेखा परीक्षा में सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं द्वारा स्व-प्रमाणन शामिल है।

11. अनुसूची III की अपेक्षाएं सामान्य प्रकृति की हैं और सीएएस अथवा एसएमएस का परीक्षण और प्रमाणन विहित नहीं करती हैं। कुछ विक्रेता व्यापक उपाय करते हैं और विषयवस्तु की सुरक्षा की दिशा में पर्याप्त तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एडवांस एम्बेडेड सुरक्षा का उपयोग करते हैं। तथापि, कुछ अन्य विक्रेता ऐसे उपाय नहीं करते हैं और उनके द्वारा तैनात की गई प्रणालियां पर्याप्त स्तर की सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार की प्रणालियां,हैकिंग के प्रति संभावित रहती हैं जिससे विषयवस्तु की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। किसी भी चोरी या विषयवस्तु की हैकिंग, बाजार में व्यवधान पैदा करती है और सेवा प्रदाताओं के लिए भारी वित्तीय नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा, इससे सरकार को कर राजस्व का नुकसान होता है।
12. उपर्युक्त उल्लिखत समस्याओं का उपयुक्त समाधान खोजने के लिए टिप्पणियों की मांग की गई थी कि क्या सभी सीएएस और एसएमएस, अनुसूची III पर खरा उतरते हैं। यदि नहीं, तो सीएएस/एसएमएस के अनुपालन में सुधार करने के लिए क्या अतिरिक्त जांच या अनुपालन उपायों की आवश्यकता है। हितधारकों को विषयवस्तु की सुरक्षा और सब्सक्रिप्शन की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डीएएस के लिए अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए सीएएस और एसएमएस की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं की एक सूची प्रदान करने के लिए भी कहा गया था ।
13. इसके प्रत्युत्तर में अधिकांश हितधारक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए अनुसूची III के अतिरिक्त,विनियामक उपायों के पक्ष में थे। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि अनुसूची III के तहत मौजूदा तंत्र पर्याप्त है और यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए ।
14. प्राधिकरण ने पाया कि सूक्ष्मविवरणों के संदर्भ में अलग-अलग विचारों के बावजूद लगभग सभी हितधारकों का मानना था कि परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए अनुसूची III के अंतर्गत प्रावधान पर्याप्त नहीं थे । हितधारकों ने विस्तृत और तर्क दिए हैं कि स्व-प्रमाणन तंत्र पर्याप्त नहीं है । अधिकांश हितधारकों ने विषयवस्तु की सुरक्षा और सेवा की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ढांचे को सुदृढ़करना आवश्यक समझा है ।
15. समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि सीएएस और एसएमएस के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए अतिरिक्त तंत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार की प्रणाली डीएएस के लिए मानकों के अनुरूप बेहतर ढ़ंग से खरा उतरना सुनिश्चित करेगा और उपभोक्ता अनुभव में सुधार होगा ।

ख. सीएएस/ एसएमएस के लिए अतिरिक्त अनुपालन संबंधी उपाय :

16. आदर्श रूप से,टेलीविजन सेवाओं का वितरण मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप एक निर्बाध और समस्या मुक्त संचालन होना चाहिए और संबंधित प्रौद्योगिकी के अनुरूप होना चाहिए। अंतर्निहित प्रौद्योगिकियां, पिछले अनेक वर्षों से उन्नत हुई हैं ताकि अधिकृत उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ विषयवस्तु के सुरक्षित पारेषणको सक्षम बनाया जा सके। चाहे, बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएएसऔर एसएमएस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्धारित मानकों का अभाव है।
17. इसलिए, हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी टिप्पणियां प्रदान करें कि क्या सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसूची III के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि नहीं, तो सीएएस/ एसएमएस के अनुपालन में सुधार के लिए क्या अतिरिक्त जांच/ उपाय किए जाने की आवश्यकता है । सीएएस और एसएमएस के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता और नेटवर्क में इन्हें तैनात किए जाने से पहले प्रणाली की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक बेंचमार्क तैयार करने के संबंध में हितधारकों के विचार भी आमंत्रित किए गए थे।
18. इसके प्रत्युत्तर में अधिकांश हितधारकों ने राय दी कि वर्तमान अनुपालन तंत्र पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त उपायों के माध्यम से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अपनाए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के संबंध में विविध सुझाव दिए गए थे। कुछ हितधारकों ने राय दी है कि सभी सीएएस और एसएमएस विक्रेता/ओईएम को अंतरराष्ट्रीय तृतीयपक्ष विषयवस्तु सुरक्षा विशेषज्ञ निकाय(यों) से अपनी प्रणाली का प्रमाणीकरण प्राप्त करना चाहिए ।
19. इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने मत प्रकट किया कि प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित व्यापक लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका के माध्यम से सांविधिक उपबंधोंका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। तथापि, कुछ अन्य हितधारकों ने पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों की पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता की कमी का हवाला देते हुए लेखापरीक्षा आधारित प्रणाली की सीमाओं को रेखांकित किया है ।
20. एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया है कि दूररसंचार विभाग (डीओटी)/ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) को भादूविप्रा के विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार प्रणालियों का परीक्षण करना चाहिए और सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए और सभी सीएएस और एसएमएस को तटस्थ सरकारी एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि उद्योग मानकों को सिक्योर लेयर प्रोटेक्शन के लिए हायर बिट एन्क्रिप्शन में स्थानांतरित करके अनुसूची III को अधिक प्रभावी बनाया जाए और लेखा परीक्षा के दौरान एन्क्रिप्शन लॉग एनटाइटलमेंट कन्ट्रोल मैसेज (ईसीएम)/ एनटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) स्टोरेज टेबल के सृजन /भंडारण को अधिदेशित किया जाए।

21. कुछ प्रौद्योगिकी विक्रेताओं ने सुझाव दिया कि सीएएस और एसएमएस के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र होना चाहिए और किसी भी नई तैनाती को सिसटम-ऑन-चिप (एसओसी) विक्रेता द्वारा जारी सर्टिफिकेट के द्वारा सुरक्षित ट्रस्टिड एक्जिक्यूशन एनवायरमेंट (टीईई) अथवा हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट के अनुपालन को दर्शाने की आवश्यकता है।
22. कुछ हितधारकों ने भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह एक ट्रस्टिड अथारिटी/ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग अथारिटी की स्थापना सहित उचित दिशा-निर्देश निर्धारित करके एक विनियामक निकाय के तहत सभी सीएएस/एसएमएस प्रदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया विहित करे । ऐसे प्राधिकरण/निकाय को सीएएस और एसएमएस और अन्य संबंधित हेडएंड उपकरणों की अनिवार्य रूप से जांच और अनुमोदन करना चाहिए ।
23. इसके अलावा, लगभग सभी हितधारकों ने सीएएस और एसएमएस के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के पक्ष में राय दी । उनकी राय में यह डीपीओ को अपने नेटवर्क के लिए सही समाधान के चयन में भी मदद करेगा। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि 'एंड टू एंड' तक विषयवस्तु की सुरक्षा के लिए सीएएस/एसएमएस प्रणाली के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क आवश्यक है। बेहतर विषयवस्तु की सुरक्षा से भारतीय दर्शकों के लिए बेहतर 'हाई-एंड कंटेंट' उपलब्ध हो सकेगा। इस तरह के फ्रेमवर्क से कार्यान्वयन की मजबूती में सुधार होगा और विषयवस्तु वितरण के अर्थशास्त्र को विषयवस्तु वितरण श्रृंखला में सभी पक्षों के अनुकूल बनाया जा सकेगा।
24. एक हितधारक ने कहा कि बदलती और तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी के साथ, सीएएस/ एसएमएस प्रणाली के मानकों और आवश्यकताओं की समीक्षा करना और स्वायत्त निकाय के माध्यम से उचित परीक्षण और मूल्यांकन के साथ नियमित आधार पर उन्हें अद्यतन करना आवश्यक हो जाता है । इसके अलावा, ऐसे मानक वैश्विक मानकों के अनुरूप होने चाहिए, जिनके अनुरूप तैनात किए गए सीएएस/एसएमएस को इसके कार्यान्वयन की तिथि से एक निर्धारित अवधि के भीतर अद्यतन किया जाना चाहिए ।
25. एक हितधारक ने कहा कि एसएमएस और सीएएस विक्रेता सीएएस/ एसएमएस का अद्यतन करने के लिए अत्यधिक राशि की मांग करते हैं और इस प्रणाली में ऐसे किसी सांविधिक उन्नयन का बोझ सेवा प्रदाताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए ।
26. संसूचित किए गए मुद्दों की संवीक्षा, जिसके परिणामस्वरूप, इस विषय पर परामर्श हुआ, से यह उद्घटित होता है कि इस मुद्दे की उत्पत्ति अवमानक प्रणालियों (सीएएस/एसएमएस) की तैनाती के कारण हो सकती है । इस तरह के मुद्दे कभी-कभी प्रणाली का धोखाधड़ी से संचालन के कारण भी पैदा हो सकते हैं। प्रणाली के कपटपूर्ण संचालन को रोकने का प्रभावी तरीका यह है कि संबंधित तकनीकी सहायता के साथ निरीक्षण/निरीक्षण प्रणाली स्थापित की जाए। तथापि, एक ऐसे फ्रेमवर्क के लिए, जोकि

नेटवर्क में अवमानक प्रणालियों की तैनाती को रोके ,किसी 'ट्रस्टिड एजेन्सी'/ संगठन द्वारा तैनाती- पूर्व मूल्यांकन आवश्यक है।

27. समिति ने टिप्पणियों का विश्लेषण करते हुए सर्वसम्मति से यह भी स्वीकार किया कि कुछ तंत्र निर्धारित करने की आवश्यकता है। तथापि, हर कोई इस बात पर सहमत था कि निर्धारित विनियम न्यूनतम होना चाहिए और केवल ऐसे मापदंडों को लागू किया जाना चाहिए जो नितांत आवश्यक हैं। कतिपय विशिष्ट अपेक्षाओं को लेकर कुछ चिंताएं थी, जो या तो भविष्य की हैं अथवा नेटवर्क मजबूती का बहुत उच्च स्तर पेशकश करती हैं। ऐसी विशिष्ट अपेक्षाओं/मापदंडों को वांछनीय विशेषताओं के रूप में शामिल किया गया है।

28. प्राधिकरण यह भी पाता है कि बहुमत की राय अंतर्संयोजन विनियम, 2017 की अनुसूची III के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अतिरिक्त उपायों के पक्ष में है। प्राधिकरण नोट करता है कि मौजूदा लेखा परीक्षा प्रणाली, अनुसूची III संबंधी अपेक्षाओं पर आधारित है । तथापि, परामर्श पत्र में व्यक्त किए गए मुद्दे और तत्संबंधीप्राप्त टिप्पणियाँ वर्तमान लेखा परीक्षा तंत्र से पृथक प्रणाली की क्षमताओं को बेंचमार्क करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं । इस प्रकार, अधिकांश हितधारकों द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त अपेक्षाएं/ फ्रेमवर्क, संदर्भ और दायरे में भिन्न हैं। किसी भी नए विनियम के साथ अनुपालन लागत संलग्न होती है और प्राधिकरण इसके प्रति सचेत है। इसलिए, प्राधिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंडों के साथ फ़्रेमवर्क को विनिर्दिष्ट करना चाहता है ।

29. नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य सीएएस और एसएमएस की क्षमताओं का आकलन करना और उन्हें प्रमाणित करना होगा। कुछ हितधारकों ने मत व्यक्त किया है कि इस तरह के फ्रेमवर्क को प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ प्रगतिशील होने की आवश्कता है। इसे बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने ढांचे की नियमित समीक्षा/अद्यतन करने के लिए हितधारकों (शिक्षा और विशेषज्ञ निकायों के सदस्यों सहित) की एक स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है । प्राधिकरण समय-समय पर इस हितधारकों की समिति के गठन की समीक्षा करेगा और उसकी संरचना में परिवर्तन करेगा।

30. सब्सक्राइबरों की गलत रिपोर्टिंग अथवा कम करके उनकी संख्या बताए जाने के कारण उद्योग को राजस्व के नुकसान का सामना करना पड़ता है। सीएएस और एसएमएस के बीच सुदृढ़ और घुसपैठ न कर पाने योग्य एकीकरण का अभाव इस प्रकार से संख्या को कम करके बताए जाने अथवा इसी तरह के कदाचार के पीछे एक प्रमुख कारण है। सेवा प्रदान किए जाने संबंधी अनेक मुद्दे सीएएस और एसएमएस समेकन के लिए विनिर्दिष्ताओं के अस्तित्व में न आने के कारण भी होते हैं । एकीकृत नेटवर्क इस प्रकार से निष्पादन करता है कि जहां एसएमएस मानव मशीन कमांड इंटरफेस है, वहीं कमांड पर वास्तविक कार्रवाई सीएएस में विन्यास सेटिंग्स के माध्यम से होती है ।

कभी-कभार, एसएमएस और सीएएस के बीच उचित कमांड और निष्पादन तंत्र के अभाव में सेवा और रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दे पैदा होते हैं। इस प्रकार के मुद्दे और जटिल हो जाते हैं चूंकि अनेक नेटवर्क स्थानीय रूप से विकसित एसएमएस समाधानों को तैनात करते हैं। ऐसे समाधान न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं और 'फेल सेफ 'निष्पादन के लिए अपेक्षित कड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

31. इसके अलावा, लाइसेंस या विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार प्रणालियों में आवश्यक संशोधन करने में उनके सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं से पर्याप्त सहायता की कमी के संबंध में डीपीओ द्वारा की गई शिकायतों के मामले हैं। इसलिए, हितधारकों से आवश्यक सुरक्षा/ उपायों पर विचार मांगे गए थे ताकि सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं द्वारा नियमित उन्नयन/ विन्यास की बाधाओं के कारण उपभोक्ताओं/ डीपीओ को परेशानी न हो।

32. इसके उत्तर में कई हितधारकों ने सीएएस और एसएमएस का पूर्ण फ्रेमवर्क बनाने, पंजीकरण और प्रमाणन निर्धारित करने के लिए सरकार की भागीदारी के साथ उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय की आवश्यकता व्यक्त की है। कई अन्य हितधारकों ने उल्लेख किया है कि सीएएस प्रदाता और एसएमएस प्रदाता सहित 'वैल्यू चेन' में शामिल सभी भागीदारों के पास 24×7 सहायता के साथ भारत में एक कार्यालय होना चाहिए । इसके अलावा, सभी विक्रेताओं के सीएएस और एसएमएस डाटाबेस को केवल भारत में वास्तविक रूप से अथवा क्लाउड सर्वर पर संग्रहित किया जाना चाहिए। अधिकांश वितरकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं के पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया । एक सुझाव दिया गया था कि सभी सीएएस और एसएमएस कंपनियों को स्वयं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत करवाना अनिवार्य किया जाए। और इसके अलावा, क्षेत्र में परिनियोजन योग्य नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण की सूची, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय जैसी एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

33. कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव किया कि डीपीओ और सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं के बीच एक सक्रिय 'सेवा स्तरीय समझौता' (एसएलए) होना चाहिए । सीएएस/ एसएमएस विक्रेता, जो स्थानीय तकनीकी सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं और/ अथवा एसएलए पर हस्ताक्षर करने या उसका पालन करने में असमर्थ हैं, उन्हें भारत में प्रचालन करने के लिए पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए और अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें भारत में अपनी कोई प्रणाली स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

34. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि अनुसूची III में उल्लिखित किसी भी विनिर्देश के अनुपालन के अभाव में सम्बद्ध सीएएस/ एसएमएस प्रणालियों द्वारा अनुपालन

सुनिश्चित करने हेतु समय सीमा और कार्रवाइयों को निर्धारित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका पालन न करने पर सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। एक विक्रेता ने उल्लेख किया कि सुरक्षित ऑवर दि-एयर (ओटीए) उन्न्यन को सभी सीएएस के लिए अनिवार्य आवश्यकता बनाया जा सकता है ।

35. मुद्दों के बारे में विविध जानकारी का विश्लेषण करने पर प्राधिकरण का मानना है कि सीएएस और एसएमएस के एकीकृत संचालन के संबंध में मापदंडों को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है। इच्छित निष्पादन प्राप्त करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट का सृजन करने के लिए सीएएस के साथ एसएमएस का निर्बाध, समकालिक कार्यकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

36. जहां तक सहायता से संबंधित मुद्दों का संबंध है, यह वांछनीय है कि सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं का भारत में विक्रय पश्चात सेवा के लिए एक प्रतिष्ठान होना चाहिए। इसके अलावा, सीएएस और एसएमएस के विक्रेताओं को टेलीविजन चैनलों के वितरण संबंधी सेवाओं के लिए अपेक्षित कड़ी अपटाइम अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सक्षम होना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संवितरण नेटवर्क को 24 × 365 के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, विक्रेताओं को वांछित 'अपटाइम' बनाए रखने के लिए सेवा सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए । सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं को अपने सहायक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए, ताकि उनके क्रेताओं को जब भी आवश्यकता हो, उन्हें सेवा प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया जा सके। यह ध्यान रखने योग्य है कि हालांकि प्राधिकरण विक्रेताओं के लिए सक्षमता मानक निर्धारित कर रहा है, परंतु व्यक्तिगत नेटवर्क अपनी स्वयं की आवश्यकताओं और व्यापार विश्लेषण के अनुसार (सेवा समझौते) तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं । निस्संदेह, प्रत्येक नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा विनियमों के अनुसार वह सेवा की गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे ।

ग. जांच और प्रमाणन अभिकरण:

37. विनियामक फ्रेमवर्क में, सिग्नलों के गैर-भेदभावपूर्ण और अनिवार्यरूप से सहभागी करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों ने कई नए छोटे मल्टि-सिस्टम-ऑपरेटर (एमएसओ)[3] को नेटवर्क स्थापित करने और अपनी सेवाएं शुरू करने में मदद की है । मौजूदा विनियमों के अनुसार, यदि एड्रेसेबल प्रणाली अनुसूची III में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरती है तो विनियम 15 के उप-विनियम (2) के परंतुक के अनुसार प्रसारक को उचित सूचना के बाद टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को काटने की अनुमति है ।

[3]अधिक ब्योरे के लिए, कृपया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के छोटे एमएसओ के लिए 'नए फ्रेमवर्क के लाभ 'https://www.trai.gov.in/sites/default/files/WhitePaper_23042019.pdf पर श्वेतपत्र देखें।

कई बार, छोटे एमएसओ को अवमानक सीएएस और एसएमएस की तैनाती के कारण ऐसी घटना का सामना करना पड़ता है । इसके पीछे यह कारण है कि वर्तमान में कोई परीक्षित और प्रमाणित समाधान की व्यवस्था नहीं हैं। छोटे एमएसओ को अपेक्षित तकनीकी मापदंडों के बारे में सीमित जागरूकता होती है। बहुधा, उत्पादो/ समाधान प्राप्त करने के लिए लागत प्राथमिक निर्णायक कारक होती है।

38. इसलिए, न केवल सीएएस के लिए विषयवस्तु की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मानकों को तैयार करने और उनकी तैनाती किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि सभी हितधारकों में भरोसे और विश्वास बनाने के लिए सांविधिक फ्रेमवर्क का प्रभावी अनुपालन भी आवश्यक है। इसमें एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय एजेंसी को परीक्षण और प्रमाणन कार्य सौंपना शामिल है। इस बात के मद्देनजर, हितधारकों को एजेंसी के फ्रेमवर्क के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया था जिसे परीक्षण और प्रमाणन का कार्य सौंपा जाएगा।

39. इसके उत्तर में, हितधारकों ने इस प्रकार के फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए नोडल एजेंसी के बारे में मिश्रित राय व्यक्त की है। अनेक हितधारकों ने उल्लेख किया है कि पंजीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, लेखा परीक्षा और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भादूविप्रा, सी-डैक, बीईसीआईएल, डिजिल विडियो-ब्रॉडकास्टिंग (डीवीबी), तकनीकी विशेषज्ञों, सीएएस/ एसएमएस विक्रेताओं, एमएसओ और डीटीएच ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र उद्योग-नेतृत्व वाला संस्थान होना चाहिए। इस औद्योगिक निकाय को प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी और सहयोग तथा परामर्श प्रक्रिया के द्वारा सीएएस और एसएमएस के फ्रेमवर्क को परिभाषित करने का कार्य सौंप जाना चाहिए।

40. कुछ हितधारकों ने राय दी कि बीआईएस से निष्पादन सहायता के साथ सीएएस और एसएमएस के लिए फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए भादूविप्रा के नेतृत्व वाली एजेंसी होनी चाहिए। फ्रेमवर्क पर अंतिम राय उद्योग के सदस्यों द्वारा प्रदान की जा सकती है।

41. दूसरी ओर, एक हितधारक ने कहा कि बीआईएस प्रमाणन के अलावा, सीएएस/ एसएमएस के विक्रेताओं को इंटरनेशनल ऑरगेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ) प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए। एक स्वतंत्र हितधारक ने कहा है कि अनुसूची III और लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका के तहत अपेक्षाएं, फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकती हैं; उद्योग हितधारक और सरकार संयुक्त रूप से इसे परिमार्जित और संशोधित कर सकते हैं ।

42. सीएएस और एसएमएस के लिए फ्रेमवर्क को परिभाषित करने के लिए एसटीक्यूसी निदेशालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 'नामिनेटिड ट्रस्टिड अथारिटी' (टीए)/ 'सर्टिफिकेशन अथारिटी' (सीए) के पक्ष में कुछ सुझाव दिए गए थे ।

43. कुछ हितधारकों का मत था कि परीक्षण और प्रमाणन एक परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर एक उद्योग निकाय द्वारा किया जा सकता है। इसे भारत में जारी होने से पहले विक्रेताओं से सीएएस और एसएमएस के किसी भी नए संस्करण के प्रमाणीकरण के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि उपयोग हेतु लगाए गए सीएएस और एसएमएस सुझाई गई समय सीमा के भीतर प्रमाणित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे सीएएस का उपयोग कर रहे डीपीओ को इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए ।

44. वहीं दूसरी ओर, परीक्षण और प्रमाणन कार्य को किसी सांविधिक/ सरकारी निकायों को सौंपे जाने के पक्ष में कई सुझाव दिए गए थे। फ्रेमवर्क को निष्पक्ष, उचित और भेदभाव रहित होने के संबंध में तर्क देते हुए 'स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (एसटीक्यूसी), निदेशालय, टेलीकम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और सरकार द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं जैसे निकायों द्वारा प्रमाणन कार्य करने के लिए सुझाव दिए गए थे। एक हितधारक ने टिप्पणी की कि बीआईएस एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाली प्रतिष्ठित एजेंसी है और सीएएस के परीक्षण और प्रमाणन कार्य करने के लिए नामित एजेंसी हो सकती है। ऐसी टिप्पणियां की गई थीं कि टीईसी इस प्रकार के परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए उचित एजेन्सी है क्योंकि वे दूरसंचार उपकरणों के लिए भी ऐसा करते आ रहे हैं और इसके लिए कार्यप्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित हैं।

45. एक हितधारक ने सुझाव दिया था कि पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षाओं के कार्यान्वयन, अनुपालन, निगरानी और उन्नयन की प्रक्रिया को सरल बनाए रखा जाना चाहिए । अधिक स्तर ('लेयर्स') और एजेंसियां, इसमें सम्मिलित प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देगी और सभी डीपीओ के पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं होंगे ।

46. प्राधिकरण का मानना है कि फ्रेमवर्क के विकास और संचालन पर विचार करने के लिए कई कारकों की आवश्यकता होगी। एक ओर जहां इस प्रकार के फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इसके कार्यान्वयन और प्रचालन से संबंधित पहलुओं पर भी उचित विचार किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी सांविधिक ढांचे के प्रभावी अनुपालन के लिए यह अत्यावश्यक है कि सभी हितधारकों के बीच भरोसा और विश्वास होना चाहिए । इसलिए, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी न केवल निष्पक्ष, उचित और भेदभावरहित होनी चाहिए; इसे सभी हितधारकों के बीच इस तरह का भरोसा और विश्वास पैदा करना चाहिए । ऐसे सांविधिक निकाय हैं जो पहले से ही अपने संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्र में परीक्षण और प्रमाणन कर रहे हैं, जिसमें सीएएस और एसएमएस के परीक्षण और प्रमाणन की अपेक्षाओं के बीच कुछ हद तक सहसंबंध हैं ।

47. प्राधिकरण, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियों को नामित करेगा जो विभिन्न सीएएस और एसएमएस के परीक्षण और प्रमाणन की निगरानी करेगा। प्राधिकरण, नामित परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी(यों) के परामर्श से, जैसा आवश्यक हो, प्रत्येक अपेक्षा के लिए एक विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया के साथ एक 'परीक्षण अनुसूची' जारी करेगा। सीएएस के साथ-साथ एसएमएस के एकीकृत कार्यकरण के महत्व को देखते हुए, इस तरह के 'परीक्षण अनुसूची' यह भी जांच करेंगे कि परीक्षण के तहत सीएएस किसी अन्य एसएमएस के साथ तथा प्रतिलोमतः समेकन करने में सक्षम है। निर्धारित एजेंसियां, निर्धारित परीक्षण अनुसूची के अनुसार स्वयं परीक्षण कर सकती हैं अथवा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण करवा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, एजेंसियां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओंको आवश्यकतानुसार पैनल में शामिल करेंगी।

48. प्राधिकरण परिकल्पित करता है कि परितंत्रद्वारा परीक्षण और प्रमाणन फ्रेमवर्कक का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में कुछ समय लगेगा । तदनुसार, प्राधिकरण उस समय सीमा को विहित करेगा जिसके भीतर ऐसी प्रणालियां अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना परीक्षण और प्रमाणन करवाएं । यह स्पष्ट है कि एक बार परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था लागू हो जाने के बाद, अनुसूची III और लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार सीएएस और एसएमएस द्वारा स्व-प्रमाणन के वर्तमान उपबंधों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, प्राधिकरण परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था के प्रभावी होने की तिथि के साथ-साथ अनुसूची III और लेखा परीक्षा नियमावली में प्रासंगिक संशोधनों, यदि कोई हों तो, को अधिसूचित करेगा। उक्त संशोधन, इस परामर्श के प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त जानकारियों को ध्यान में रखेंगे।

घ. सीएएस तथा एसएमएस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली:

49. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित निरीक्षण तंत्र के संबंध में हितधारकों से विविध सुझाव प्राप्त हुए थे। अनेक हितधारकों ने सुझाव दिया कि चरणबद्ध प्रवासन अवधि के साथ नए ढांचे को क्रमबद्ध रूप से शुरू किया जाना चाहिए और सभी सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं को इस फ्रेमवर्क के प्रभाव में आने के तीन से छह महीने के भीतर अपनी पहले से ही तैनात प्रणालियों को नामित उद्योग निकाय द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित करवा लेना चाहिए । मौजूदा डीपीओ को कमियों को दूर करने का अवसर दिया जाना चाहिए और गैर-अनुपालन प्रणालियों को भारत में प्रचालन करने के लिए अपंजीकृत और अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए । यह सुझाव दिया गया था कि मौजूदा प्रणालियां एक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नई प्रणाली में प्रवास कर सकें

। कुछ हितधारकों द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि सीएएस/ एसएमएस का नया संस्करण जारी किए जाने पर, नए प्रमाणन को अनिवार्य किया जाना चाहिए । सीमित अवधि, उदाहरण के लिए तीन वर्ष, के लिए प्रमाणपत्र देने के संबंध में भी एक सुझाव था। इसके अलावा, प्रणाली में हैकिंग का साक्ष्य प्राप्त होने पर सुधार और दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी प्रावधान होने चाहिए। कुछ हितधारकों ने यह मुद्दा उठाया था कि प्राधिकरण को ऐसे डीपीओ से निपटने के लिए उचित प्रावधानों को शामिल करना चाहिए जो विनियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते, विशेषतः निर्धारित समय सीमाओं के संदर्भ में ।

50. सतत प्रौद्योगिकीय प्रगति को देखते हुए ढांचे की नियमित समीक्षा के पक्ष में कुछ टिप्पणियां की गई थीं । कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि भारतीय बाजार के अनुरूप उपयुक्त बदलावों के साथ 'फर्नकॉम्ब सिक्योरिटी ऑडिट' जैसी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रमाणन पर विचार किया जा सकता है। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि पूरी प्रक्रिया पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए, अर्थात परीक्षण और प्रमाणन को पूरा करने के लिए एक एजेंसी को नामित करना और अनुपालन के परीक्षण और प्रमाणन के लिए पर्याप्त तकनीकी समझ और साधन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए ।

51. प्राधिकरण का मानना है कि तैनात किए गए और साथ ही आगे आने वाली प्रणालियों को अधिसूचित ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित अवसर मिलना चाहिए । तदनुसार, उन्हें अपनी प्रणालियों की जांच करने और अपने संबंधित सीएएस और एसएमएस विक्रेता द्वारा आवश्यक परीक्षण और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। इससे सेवाओं में अनावश्यक व्यवधान से बचा जा सकेगा । यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी(यों) को नामित किए जाने के उपरान्त, उन्हें प्राधिकरण को परीक्षण अनुसूची सुझाने के लिए समय की आवश्यकता होगी। एजेंसी, परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त लैब की सूची भी जारी कर सकती है। अतः, तैनात की गई प्रणालियों के लिए प्रदान किए जाने वाली समय-सीमा को परीक्षण अनुसूची और प्रत्यायित प्रयोगशाला के प्रकाशन, जो भी बाद में हो, से ही संदर्भित किया जा सकता है। तथापि ,फ्रेमवर्क को अधिसूचित किए जाने से ही उद्योग को अपनी प्रणाली की समीक्षा करने और अधिसूचित ढांचे के अनुसार उसका उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त 'लीड समय' प्राप्त हो जाएगा। समाधान प्रदाता उनकी प्रणाली में यदि कोई कमियाँ हों तो उनकी पहचान करके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय आरंभ कर सकेंगे । इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण पहले से तैनात नेटवर्कों के वितरकों अथवा नए नेटवर्कों की तैनाती करने वालों के लिए विभिन्न समय सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है, ताकि कि उनके नेटवर्क में सीएएस और एसएमएसका प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सके ।

52. विहित समय सीमा के बेहतर अनुपालन हेतु, उसका अनुपालन नहीं करने वालों के लिए कुछ निरुत्साहन आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण गैर-अनुपालन करने वाले सेवा प्रदाताओं से निपटने के लिए वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित करना उचित समझता है । यदि टेलीविजन चैनलों का कोई वितरक एड्रेसेबल प्रणाली तैनात करता है जो नियत तिथि पश्चात् अनुसूची IX का अनुपालन नहीं करती है तो वित्तीय निरुत्साहन लगाया जा सकता है। वित्तीय निरुत्साहन का प्रस्ताव एक 'ग्रेडिड स्केल' पर किया जाता है । अर्थात, यदि वितरक द्वारा तैनात सीएएस और/ अथवा एसएमएस प्रणाली तिथि (यथा निर्धारित) के बाद अपरीक्षित/ अप्रमाणित बनी रहती है, तो टेलीविजन चैनलों के वितरक पहले तीस दिनों के विलम्ब के लिए 1000/- रुपये (एक हजार रुपये प्रतिदिन) की दर से वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे । तीस दिन से अधिक विलंब होने की स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन बढ़कर 2000/- रुपये (दो हजार रुपये प्रतिदिन) प्रति अतिरिक्त दिन हो जाएगा। प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े और छोटे वितरक हैं। इसलिए, निरुत्साहन की अधिकतम सीमा लगाया जाना आवश्यक है ताकि कि अधिकतम हतोत्साहन छोटे वितरकों के लिए भी उचित रहे। तदनुसार, प्राधिकरण मानता है कि अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन की एक ऊपरी अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण ने उल्लंघन/ विलंब के प्रत्येक मामले में केवल 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की अधिकतम सीमा विहित की है। प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करेगा और वितरक को वित्तीय निरुत्साहन उद्ग्रहित करने से पूर्व अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, यदि साठ दिनों के बाद चूक जारी रहती है, तो प्राधिकरण प्रसारकों को ऐसे चूककर्ता वितरक को तीन सप्ताह की लिखित सूचना देने के बाद टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद करने का निदेश दे सकता है। प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार टेलीविजन चैनलों के किसी चूककर्ता वितरक के विरूद्ध आगे उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

53. टेलीविजन वितरण जैसे हमेशा विकसित होने वाले तकनीकी क्षेत्र में कोई फ्रेमवर्क अंतिम नहीं हो सकता है। इस प्रकार के ढांचे के लिए निरंतर निरीक्षण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता होगी। इसलिए, प्राधिकरण ढांचे की नियमित समीक्षा करने/ उन्नयन करने के लिए हितधारकों (शिक्षाविदों और विशेषज्ञ निकायों के सदस्यों सहित) की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता है। समिति को नियमित अंतराल पर परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया की समीक्षा करने और प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अधिकार होगा। समिति में, इस क्षेत्र के अग्रणी संघों के नामितियों को शामिल किया जाएगा और मौजूदा सदस्यों की सेवानिवृति के पश्चात् और नए प्रतिनिधियों को लाने के लिए समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

ङ. सीएएस और एसएमएस का मानकीकरण और प्रमाणन का आर्थिक कार्यकुशलता, सेवा की गुणवत्ता तथा अंतिम उपभोक्ता के अनुभव पर प्रभाव

54. अधिकांश हितधारकों ने उल्लेख किया कि सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण और प्रमाणन से टेलीविजन चैनलों के वितरकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस फ्रेमवर्क से पाइरेसी में कमी आएगी और पूरे परितंत्र को लाभ प्राप्त होगा। कुछ हितधारकों ने राय दी कि मानकीकरण के परिणामस्वरूप शून्य या कम 'सर्विस ऑउटेज' होगा। मानकीकृत एसएमएस में बहुसंख्य कार्यकलापों के निष्पादन में कोई अड़चन नहीं होगी। कुछ अन्य हितधारकों ने टिप्पणी की कि मानकीकरण के लाभ केवल आर्थिक कार्यकुशलता, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और अंतिम उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि व्यापार करने में सुलभता, नई प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अनुकूलन को सुलभ बनाने तक विस्तारित है। एसएमएस विक्रेता अपने उपभोक्ताओं द्वारा मौजूदा विनियमों का उल्लंघन करते हुए वैकल्पिक राजस्व मान्यता तंत्र प्रदान करने की मांगों को अस्वीकार कर सकेंगे। अब वे कार्यप्रवाह को सुगम करने के लिए बेहतर सुविधाओं को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ टिप्पणियां की गई थी कि इस तरह के फ्रेमवर्क से अतिरिक्त लागत बोझ पड़ेगा, जिसे उपभोक्ताओं द्वारा वहन करना होगा, इस प्रकार सब्सक्रिप्शन के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। कुछ हितधारकों ने कुशल परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी पर भी टिप्पणी की है जो सीएएस और एसएमएस जैसे जटिल उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं ।

55. सुझावों का विश्लेषण करने पर प्राधिकरण ने यह पाया है कि हितधारकों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि इस फ्रेमवर्क से आर्थिक और गैर-आर्थिक, दोनों तरह के दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। एक सुदृढ़ता से डिजाइन किए गए और बेहतर तरीके से आमेलित सीएएस और एसएमएस से चोरी पर रोक लगाने और इसके परिणामस्वरूप सब्सक्रिप्शन की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग होने की आशा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सभी संबंधित हितधारकों द्वारा राजस्व वसूली में सुधार होगा। इसके अलावा, फ्रेमवर्क से अनेक गैर-आर्थिक लाभ प्राप्त होने की भी आशा है जैसे कि व्यापार करने में सुलभता के प्रति अनुकूल होना, बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता करना, जिसके परिणामस्वरूप सेवा की बेहतर गुणवत्ता और बेहतर अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त हो सकता है। एक अधिक सुरक्षित नेटवर्क उच्च गुणवत्ता वाली विषयवस्तु की उपलब्धता को भी आकर्षित कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं।

56. कुछ हितधारकों द्वारा उठाई गई लागत चिंताओं के संबंध में, प्राधिकरण का यह मत है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को समाधान करते हुए एक न्यूनतम फ्रेमवर्क, परीक्षण और प्रमाणन

से जुड़ी लागतों को न्यूनतम रख सकता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण का उद्देश्य इस क्षेत्र में कम व्यवधान के साथ संदर्भित मुद्दों का समाधान करना है । इसी विचार से प्राधिकरण ने समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को छांटकर की है। समिति की रिपोर्ट को संशोधित किया है ताकि अनुसूची IX में न्यूनतम आवश्यक मापदंडों को शामिल किया जा सके। उच्च दर्जे के महत्व वाले कड़े प्रावधानों, जैसा कि कुछ हितधारकों द्वारा परामर्श प्रक्रिया के दौरान सुझाया गया है, की बाद के चरण में उचित समीक्षा की जा सकती है । प्राधिकरण, फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा के लिए एक बहु-हितधारक समिति का गठन करेगा।

57. प्राधिकरण मानता है कि प्रारंभ में जटिल प्रणालियों के लिए परीक्षण संबंधी क्षमता की कमी हो सकती है । तथापि, प्राधिकरण इस मुद्दे को परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी(यों) पर छोड़ने पर विचार करता है। एजेंसी(यां) या तो स्वयं परीक्षण सुविधाओं का विकास कर सकती है अथवा घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का परीक्षण, प्रयोगशालाओं के रूप में प्रत्यायनकर सकती हैं। इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रिडियेशन कोपरेशन (आईएलएसी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के तत्वावधान में विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्डों/ एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन पारिस्थिति की तंत्र पहले ही सुस्थापित है। भारत के भीतर अथवा विदेश से किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी परीक्षण प्रमाण पत्र, किसी उत्पाद को परीक्षित उत्पाद के रूप में और प्रमाणित उत्पाद सूची में शामिल किए जाने के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकरण का मानना है कि देश में एक बार परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था लागू हो जाने के बाद परीक्षण परितंत्र भी विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा । इस तरह के परितंत्रसे घरेलू समाधानों को और विकसित करने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण यह मानता है कि इस तरह के परितंत्र से 'उत्पाद के स्थानीयकरण' को भी बढ़ावा मिलेगा जैसा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत परिकल्पना की गई है।

च. वर्तमान परामर्श के प्रति संगत कोई अन्यप्रासंगिक मुद्दा :

58. परामर्श पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर टिप्पणियों के अलावा, कुछ सुझाव थे, जो सीधे परामर्श के विषय पर केंद्रित नहीं थे। उदाहरण के लिए एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि सीएएस और एसएमएस के अलावा, वितरण श्रृंखला के अन्य घटकों जैसे एन्कोडर, मल्टीपलैक्सर (एमयूएक्स), मिडलवेयर, एसओसी, आदि की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। एक हितधारक ने सुझाव दिया कि इंटरनेट प्रौटोकॉल टेलीविजन सर्विस (आईपीटीवी) पर दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से माध्यम को मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इस तरह के सुझावों को भविष्य में उपयुक्त रूप से विचार करने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है।